प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाण्डे गणाई मो० मार्ग लम्बाई = 12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नाकोट (सैलोनी राजस्व ग्राम)

तहसील गणाईगंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.50 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.5 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सैलोनी द्वारा दिनांक 5-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सैलोनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव (ग्रा० पं० वि० अ० नाकोट)

प्रधान 5-8-2017 ग्राम सभा नाकोट गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1:6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/6/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नाकोट सैलोनी (राजस्व ग्राम)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	कुंजर राम पुत्र श्री रतन राम	
(2)	खीम राम S/O दीवानी राम	
(3)	किशन राम S/O जोगा राम	
(4)	मोहन राम S/O गोपाल राम	
(5)	प्रकाश चन्द्र S/O फकीर राम	
(6)	शंकर लाल S/O हरी राम	
(7)	बहादुर राम S/O केशरी राम	
(8)	गीता देवी W/O पुष्कर लाल	
(9)	किशन राम S/O प्रताप राम	

प्रधान 5-6-2017
ग्राम सभा नाकोट
गंगोली हाट (पिथौरागढ़)

ह0
ग्राम प्रधान

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाउंड गणाई मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मैतोली
तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाउंड गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.40 हे0 सिविल सोयम भूमि X हे0, वन पंचायत भूमि X हे0) अर्थात कुल 0.4 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मैतोली द्वारा दिनांक 01/06/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैतोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव मैतोली

मुकेश जोशी
महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मण्डल-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)
01-06-17

ललिता देवी 01-06-17
प्रधान
ग्राम पंचायत मैतोली
वि०ख० गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ
ह0/– ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मैतोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मुकेश जोशी	Mkeshi
2–	मनोहर जोशी	मनोहर जोशी
3–	कमलेश जोशी	कमलेश जोशी
4–	भगवान जोशी	भगवान जोशी
5–	कान्ति वल्लभ	कान्ति वल्लभ
6–	धनंजय जोशी	Spade
7–	कैलाश जोशी	कैलाश जोशी
8–	नीरज जोशी	Neeraj
9–	मनोज जोशी	मनोज जोशी

Mkeshi 01-06-17
मुकेश जोशी
महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मण्डल-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ललिता देवी 01-06-17
प्रधान
ग्राम पंचायत मातोली
वि0ख0-गंगोलीहाट
जनपद-पिथौरागढ़
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाउंट गणाई मोटर मार्ग लम्बाई–12.00 किमी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बज्यूड़ा
तहसील गणाईगंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाउंट गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.60 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.60 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बज्यूड़ा द्वारा दिनांक 01/06/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बज्यूड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ ग्रा0 पं0 वि0 अ0
ग्राम सचिव
वि0ख0–गंगोलीहाट(पिथौ0)

ह0/ 1-6-2017
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत खड़की–बज्यूड़ा
वि0ख0–गंगोलीहाट
जनपद–पिथौरागढ़

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बज्यूड़ा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्याम लाल	Syamlal
2	बच्ची राम	Bachi
3	नवीन सिंह	Nadam
4	पुष्कर सिंह	Auskar
5	धन राम	Dan Ram
6	कुशाल सिंह	Kuwsal
7	पूरन सिंह	PuRam
8	राजन सिंह	
9	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
10	भूपाल राम	भूपाल राम
11	पूरन राम	पूरन राम
12	जगी राम	जगी राम

प्रधान 1-6-2017
ग्राम पंचायत खड़की–बज्यूड़ा
वि०ख०–गंगोलीहाट
जनपद–पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– खिरमाण्डे गणाई मो० मार्ग लम्बाई – 12.00 किमी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जमड़लेख

तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खिरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.20 हे0 सिविल सोयम भूमि .6075 हे0, वन पंचायत भूमि — x — हे0) अर्थात कुल .8075 हे0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जमड़लेख द्वारा दिनांक 1-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जमड़लेख के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर) 01-06-17	ललिता देवी 01.06.17
ग्रा0 ग्राम सचिव	मुकेश जोशी	प्रधान
क्षेत्र..........मातोली.....	महामंत्री	ग्राम पंचायत मातोली
वि0ख0–गंगोलीहाट(पिथौ0)	भारतीय जनता ...	वि0ख0–गंगोलीहाट
	ग्रामीण मण्डल-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)	जनपद–पिथौरागढ़
		ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जमड़लेख

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	महेश कुमार	महेश कुमार
2.	प्रदीप राम	प्रदीप राम
3.	कान्ति बल्लभ	कान्ति बल्लभ
4.	आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
5.	हरीश जोशी	हरीश जोशी
6.	नवीन जोशी	नवीन जोशी
7.	पवन जोशी	पवन जोशी
8.	किशन राम	किशन राम

01-06-17
मुकेश जोशी
महामंत्री
भारतीय जनता पार्टी
ग्रामीण मण्डल-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

ललिता देवी 01-06-17
प्रधान
ग्राम पंचायत मातोली
वि०ख०-गंगोलीहाट
जि०-पिथौरागढ़
ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– खिरमाण्डे गणाई मो०मार्ग लम्बाई -12.00 किमी०

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम – भैसात

तहसील गणाईगंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खिरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9 - हे0 सिविल सोयम भूमि X हे0, वन पंचायत भूमि X – हे0) अर्थात कुल 0.9 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैसात द्वारा दिनांक 07/06/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भैसात के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रा0 वि0 /वि0 अ0
क्षेत्र ग्राम सचिव
वि0ख0–गंगोलीहाट(पिथौ0)

प्रधान 1-8-2017
ग्राम पंचायत खड़की–बड़्यूड़ी
वि0ख0–गंगोलीहाट
ग्राम प्रधान
जनपद–पिथौरागढ

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भैसात

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	तेज सिंह	[signature]
3	सोहन सिंह	[signature]
4-	महेश सिंह	[signature]
5-	पुरन सिंह	[signature]
6	आनन्द सिंह	[signature]
7-	धर्म सिंह	[signature]
8-	आनन्द राम	Ramram
9-	कैलाश चन्द्र	[signature]
10	शंकर राम	Sobechal
11-	जीवन राम	Jaram
12-	धर्म राम	Ram Ram
13	गोकुल सिंह	Gokal
14-	सर्वजीत सिंह	Sarbjit
15	शंकर सिंह	Sakal

प्रधान 1-6-2017
ग्राम पंचायत खड़की–[illegible]
वि0ख0–गंगोलीहाट
जनपद–पिथौरागढ
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग लम्बाई-12 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अनौली
तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.67 हे0 सिविल सोयम भूमि....X हे0, वन पंचायत भूमि —X— हे0) अर्थात कुल 0.67 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अनौली द्वारा दिनांक 30.5.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अनौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे0/— 30/5/2017
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत अनौली
वि०ख० गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

ग्राम विकास अधिकारी हे0/—
क्षेत्र ग्राम सचिव अनौली
वि० ख० गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
6/6/17

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 30.5.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अनौली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री फकीर सिंह	[illegible]
2-	श्री मोहन सिंह	मोहन सिंह
3-	श्री कुन्दन सिंह	KSingh
4-	श्री रणजीत सिंह	रणजीत सिंह
5-	श्रीमती शान्ती देवी	शान्ती देवी
6-	श्री कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
7-	श्री भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
8-	श्री शेर सिंह	शेर सिंह
9-	श्री नरेन्द्र सिंह	Narendrasingh
10-	श्री नवल सिंह	नवल सिंह
11-	श्री हीरा सिंह	Heerasingh
12-	श्री हीरा सिंह	हीरा सिंह
13-	श्री नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
14-	श्री सनमार सिंह	[illegible]
15-	श्री तेज सिंह	तेज सिंह

[illegible] 30/5/201

(संदीप सिंह)
प्रधान
ह0/–
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत अनौली
वि0ख0 गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग लम्बाई–12 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खड़की

तहसील गणाई गंगोली जिला– पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.53 हे0 सिविल सोयम भूमि 11.25 हे0, वन पंचायत भूमि — x — हे0) अर्थात कुल ·6425 हे0 वन भूमि का ————————विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खड़की द्वारा दिनांक 01/06/17 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खड़की के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— ग्रा० पं० वि० अ०
ग्राम सचिव खड़की बजूड़ा
वि०ख०-गंगोलीहाट(पिथौ०)

प्रधान 1-6-2017
ग्राम पंचायत खड़की–बजूड़ा
वि0ख0-गंगोलीहाट
जनपद-पिथौरागढ

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1-6-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खड़की

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible] सिंह	Singh
2	जगत सिंह	Jagt
3	सुरेश सिंह	Suresh
4	हयात सिंह	हयात सिंह
5	शंकर सिंह	शंकर सिंह
6	आनन्द सिंह	Anand Singh
7	ध्यान राम	ध्यान राम
8	आनन्द राम	आनन्द राम
	Gopal singh	Gopal Singh
9.	Sankar Lal	Sankar Lal.
10	[illegible] सिंह	[illegible]
11	बालम सिंह	Balam Singh
12	~~[illegible]~~ कमल सिंह	Kamal Singh

प्रधान 1-6-2017
ग्राम पंचायत खड़की–बज्यूड़ा
वि0ख0–गंगोलीहाट
जनपद–पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– रिवरमाण्डे गणाई मो० मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नैनोली

तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.985 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि -X- हे0) अर्थात कुल .985 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नैनोली द्वारा दिनांक 31/05/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आनन्दी देवी 31-5-19

प्रधान ग्राम पंचायत नैनोली वि०ख० गंगोलीहाट जनपद पिथौरागढ़

ह0/ ग्राम प्रधान

ह0/ ग्राम सचिव

ग्रा0 पं0 वि0 अ0 नैनोली वि0ख0– गंगोलीहाट(पिथौ0)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 31-5-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नैनोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	जोगा राम	
2-	दिवान सिंह	दिवान सिंह
3-	देव सिंह	देव सिंह
4-	रतन सिंह	रतन सिंह
5-	भगवान सिंह	भगवान सिंह
6-	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
7-	नर सिंह	नर सिंह
8-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
9-	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
10-	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह

आनन्दी देवी
31-5-201

प्रधान
ग्राम पंचायत नैनोली
वि०ख० गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ

ग्राम प्रधान

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम : धपना
तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.650 हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0, वन पंचायत भूमि × हे0) अर्थात कुल 0.65 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धपना द्वारा दिनांक 4-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपरोक्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
खण्ड गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

ह0/- उमा देवी
प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत किटाण
वि0 ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....धपना............

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्कर सिंह	[illegible]
2-	कुन्दन सिंह	[illegible]
3-	महेश सिंह	Mahesh
4-	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
5-	गोपाल सिंह	Gopal Singh
		गोपाल सिंह
6-	महेश राम	[illegible]
7-	प्रकाश चन्द	[illegible]
8-	जगदीश चन्द	जगदीश चन्द
9-	कृष्ण कुमार	कृष्ण कुमार
10	गोपाल राम	गोपाल राम
11	मान सिंह	मान सिंह
12-	पूरन सिंह	पूरन सिंह

उमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]किटाण
वि० ख० [illegible] (पिथौरागढ़)

ह० [illegible]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत [illegible]
[illegible]
जनपद–पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग लम्बाई-12.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम गुनाकिराण
तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9325 हे0 सिविल सोयम भूमि .6975 हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 1.63 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गुना किराण द्वारा दिनांक 5-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उपरोक्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 (हस्ताक्षर)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
खण्ड गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

ह0 उमा देवी
प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत गुनाकिराण
वि0 ख0 गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 5/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गुनाकियाण

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्कर सिंह	[signature]
2-	कुन्दन सिंह	[signature]
3-	मोहन सिंह	Mahesh
4-	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
5-	गोपाल सिंह	Gopal Singh
6-	महेश राम	गोपाल सिंह
7-	प्रकाश चन्द्र	[signature]
8-	जगदीश चन्द्र	जगदीश चन्द्र
9-	कृष्ण कुमार	कृष्ण कुमार
10	गोपाल राम	गोपाल राम
11	मान सिंह	मान सिंह
12-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
13-	नवल सिंह	नवल सिंह
14	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
15	भगवान दत्त	भगवान सिंह
16-	शंकर दत्त	शंकर दत्त
17	बालकिशन	बाल किशन

उमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गुनाकिटाण
वि० ख० गनोलीकोट (पिथौरागढ़)

ह० [signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड–गनाईगंगोली
जनपद–पिथौरागढ़

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग लम्बाई 12.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

गंगोलीहाट उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत रिवरमाण्डे गणाई मो० मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 6.3675 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.4175 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 7.785 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गणाई गंगोली) की दिनांक 30/8/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट अध्यक्ष
2— श्री एस० एम० भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य
3— श्री दीपक भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी गंगोलीहाट सदस्य / सचिव DBhatt
4— श्री शान्ती देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र गंगोलीहाट सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रिवरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.785 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1·6

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.785 हे0 वन भूमि P.W.D. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.........................
जनपद ....गंगोलीहाट
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.........................
जनपद.........गंगोलीहाट
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट

शान्ती देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत

तहसीलदार
गणाई गंगोली

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बेरीनाग
पिथौरागढ़ वन ...

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector- **Pithoragarh**

No--- Dated---2/9/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **7.785** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Berinag** (name of user agency) for **khirmandey Ganai Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **seloni, matoli,Bajuda, Jamadlekh,Bhesat,Anoli,Khadaki,Nanoli, Dhapana ,Gunakitan,** village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.785** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

जिला अधिकारी

(Full name and official seal of the जिलाधिकारी Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No---

Dated---2|9|2017

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **7.785** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D Berinag (name of user agency) for **khirmandey Ganai Moter road** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **seloni, matoli,Bajuda, Jamadlekh,Bhesat,Anoli,Khadaki,Nanoli, Dhapana ,Gunakitan,**village (s) in **Gangolihat** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

वन अधिकारी
पिथौरागढ़

(Full name and official seal of District Collector)

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ~~Dr. Ranjeet Sinha~~ C. Ravishankar I.A.S deputy commissioner **Pithoragarh** on dated 2-9-17 at time 4 p.m. at in which application claiming rights in area measuring 7.785 hect for the construction of **Khirmandey Ganai Moter road** to forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Gangolihat** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place **Pithoragarh**

Dated: 2-9-17

जिला अधिकारी

Deputy Commissioner/पिथौरागढ़-Chairman

District Level Committee

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

<u>जिलास्तरीय समिति--पिथौरागढ़</u>

उप खण्ड **बेरीनाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक 2-9-17...... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः--अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:--

1--श्री सी0 रविशंकर जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2--श्री **विनय कुमार भार्गव** प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3--श्री पी0 बी0 सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4--श्रीमती **राजेन्द्र बोरा** जिला पंचायत क्षेत्र **गणाई गंगोली** सदस्य।

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **खिरमाण्डे गणाई मो0 मार्ग** परियोजना हेतु 7.785है0 वनभूमि **लोक निमार्ण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

जिलाधिकारी अध्यक्ष	प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव	सदस्य जिला पंचायत सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग

जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़

राजेन्द्र सिंह बोरा
सदस्य
जिला पंचायत गणाई
जनपद पिथौरागढ

जिलाधिकारी पिथौरागढ़

उपप्रभागीय वनाधिकारी
गंगोलीहाट वन क्षेत्र
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

(रमेश सिंह भण्डारी)
सदस्य
जिला पंचायत, सुगड़ी (गंगोलीहाट)
पिथौरागढ़